प्रकरण संख्या 145/2017 हेमा व अन्य बनाम पुष्करलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की सहखातेदारी एवं सहआधिपत्य की कृषि आराजीयात ग्राम डांगियों का गुडा में स्थित है, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर कुल किता 21 रकबा 1.3950 हैक्टर है। उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 5 देवा का 1/5 हिस्सा होकर उसमें से कुछ हिस्सा मोहनलाल खटीक को विक्रय किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 1 व 2 का 1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 का 28125/1395000 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का 1/24 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 12 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 का 30/1395 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम डांगियों का गुडा में आराजी नंबर 5340 मी. रकबा 0.0600 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/3, वादीगण का 3/24, प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा है। अतः वादग्रस्त आराजियात का उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 23.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 13 के विरूद्ध	

स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में भूल की है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा वाद में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण मौके पर जमीन की किस्म बदलने पर उतारू हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2017 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक की कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रकरण सीधे ही दिनांक 23.05.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट/वादीगण होने की कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 4 से 8 में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन दुकान निर्माण करने व वादीगण की फसलें नष्ट करने का स्पष्ट अंकन करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गयी थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 145/2017 हेमा व अन्य बनाम पुष्करलाल व अन्य

प्रकरण संख्या 145/2017 हेमा व अन्य बनाम पुष्करलाल व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.11.25 16:18:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: